4051
घोषणा-क.

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

कमांक/एफ-3-42/2008/26-2 भोपाल दिनांक 12.8.2008

विषयः- निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना नियम-2008

---0---

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानानुसार, निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से निःशक्त व्यक्तियों के लिए विवाह प्रोत्साहन राशि योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उक्त तिथि के पूर्व किए गए विवाह संबंधी मामलों में इस योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा।

2. विवाह प्रोत्साहन योजना में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा-2 में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले पात्र व्यक्तियों को रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार मात्र) प्रोत्साहन राशि तथा प्रशंसा-पत्र दिया जावेगा। यदि निःशक्त दम्पत्ति मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर विवाह करते है तो दम्पत्ति को रूपये 5000/-(रूपये पांच हजार मात्र) की सामग्री की पृथक से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता-

निर्देशों के तहत शर्तों के अधीन किसी दम्पत्ति को प्रोत्साहन राशि देने के लिए निम्नलिखित शर्ते लागू होंगी-

1. दम्पत्ति भारत का नागरिक हो।
2. दम्पत्ति मध्यप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी हो या कम से कम पाँच वर्ष से मध्यप्रदेश में निवासंरत हो।
3. दम्पत्ति में से कोई भी सदस्य किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किंया गया हो।

75

4. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
5. दम्पत्ति का विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित गया हो।
6. दम्पति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो।
7. दम्पत्ति में किसी एक सदस्य का कोई जीवित पति या पत्नि न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य अपराधिक वाद न चल रहा हो।

4. प्रोत्साहन राशि की शर्तें–

1. प्रोत्साहन राशि पात्र दम्पति को संयुक्त रूप से देय होगी और यह राशि केवल एक बार ही देय होगी।
2. निर्देशों के अधीन प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले विवाहित दम्पति में से किसी सदस्य द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन न्यायिक पृथक्करण/ विवाह–विच्छेद या विवाह विघटन अथवा 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दम्पति के वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं तो दम्पति द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन की सम्पूर्ण राशि सरकार को वापिस करने के लिए उत्तरदायी होंगे और वह राशि भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
3. युवक के निःशक्त होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के निःशक्त होने पर सामान्य युवक से अथवा युवक–युवती दोनों के निःशक्त होने की स्थिति में विवाह करने पर रूपये 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) प्रोत्साहन राशि तथा प्रशंसा–पत्र दिया जावेगा। यदि निःशक्त दम्पत्ति मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर विवाह करते है तो दम्पत्ति को पृथक से रूपये 5000/–(रूपये पांच हजार मात्र) की सामग्री देय होगी।

(75)

5. आवदेन पत्र प्रस्तुत करने की विधि–

1. प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन पत्र **परिशिष्ट–"एक"** में विहित प्रारूप में जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय को प्रस्तुत किया जावेगा जिसमें निम्न निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :–

(एक) सक्षम चिकित्सा मंडल द्वारा दम्पति में से किसी एक अथवा दम्पत्ति में दोनों के निःशक्त होने पर दोनों सदस्यों को दिया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र।

(दो) विवाह संबंधी विवरण (स्थानीय विधायक/सांसद/राजपत्रित अधिकारी/सरपंच/अध्यक्ष, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ महापौर नगर निगम/ अध्यक्ष, नगर निगम/पालिका/नगर पंचायत द्वारा प्रमाणित)

(तीन) आवेदक और उसकी पत्नी या पति द्वारा **परिशिष्ट–दो** में विहित प्रारूप में रूपये पचास के स्टाम्प पेपर (न्यायिक) पर हस्ताक्षरित शपथ–पत्र।

(चार) आवेदन–पत्र पर वर तथा वधु के नवीनतम फोटोग्राफ उपर्युक्त कंडिका–दो में उल्लेखित किसी भी एक पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर चस्पा करना होंगे।

2. जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, कार्यालय में प्राप्त आवेदन–पत्र की आवश्यक समीक्षा करने के पश्चात् ऐसे दम्पत्ति को जिन्हें वह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र समझे आवेदन–पत्र को सभी आवश्यक दस्तोवजों सहित अपनी अनुशंसा के साथ जिला कलेक्टर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

6. प्रोत्साहन राशि स्वीकृति के अधिकार–

1. प्रोत्साहन राशि स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर का होगा।

2. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राशि रूपये 5000/–आवंटित बजट से तथा प्रोत्साहन राशि रूपये 25000/– जिले में संग्रहित निराश्रित निधि से व्यय की

प्रतिपूर्ति की जावेगी। जिला स्तर पर उपयोग की गई राशि का पूर्ण लेखा–जोखा संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक,सामाजिक न्याय के कार्यालय में रखा जावेगा। शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रोत्साहन राशि की शर्तों का पालन संबंधित जिला कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग को यथासमय उपलब्ध करायेंगे।

यह योजना उक्त नियम जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

संलग्नः–**परिशिष्ट एक एवं दो**

(टीनू जोशी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
भोपाल दिनांक 12.8.2008

पृ.क्रमांक/एफ–3–42/2008/26–2

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र.शासन,भोपाल
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय,1250 तुलसी नगर, भोपाल।
5. समस्त संभागीय आयुक्त,मध्यप्रदेश।
6. कलेक्टर्स, समस्त जिला, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12/8/08

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,

77

परिशिष्ट–एक

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

दम्पति की विवाह संबंधी प्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम–
(1) पति का नाम–
(2) पत्नी का नाम–

2. विवाह के पूर्व का पूरा पता–
(1) पति का पता–
(2) पत्नी का पता–

3. दम्पति में से कौन निःशक्त है पति अथवा पत्नी अथवा दोनों उल्लेख करें तथा किस प्रकार की निःशक्तता से ग्रसित हैं उसका भी उल्लेख करें–

4. राष्ट्रीयता, धर्म, जाति तथा उपजाति–
(1) पति –
(2) पत्नी –

5. दम्पति की जन्मतिथि/आयु–
(1) पति –
(2) पत्नी –

6. विवाह का विवरण–
(1) विवाह के समय आयु (क) पति –
(ख) पत्नी –
(2) विवाह सम्पन्न होने का दिनांक–
(3) विवाह का विस्तृत विवरण–
(क) क्या विवाह पंजीकृत हुआ है? यदि हां तो पंजीयन क्रमांक तथा दिनांक एवं उस कार्यालय का नाम जहाँ विवाह पंजीकृत हुआ।
(ख) विवाह किस धार्मिक रीति से सम्पन्न हुआ हैं? इस संबंध में प्रमाण–साक्ष्य क्या है?
(ग) विवाह की वैधता को प्रमाणित करने के लिए अन्य कोई साक्ष्य यदि हों।
(घ) उन दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनकी उपस्थिति में विवाह सम्पन्न हुआ।
(क) नाम तथा पता –
(ख) नाम तथा पता–

7. व्यवसाय–
(1) पति –
(2) पत्नी –

78

8. पति के पिता का नाम –
   (1) उनका पता तथा व्यवसाय(यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अंतिम पता तथा व्यवसाय –
   (2) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म जाति तथा उपजाति –
9. पत्नी के पिता का नाम –
   (1) उनका पता तथा व्यवसाय(यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अंतिम पता तथा व्यवसाय –
   (2) उनकी राष्ट्रीयता, धर्म जाति तथा उपजाति –
10. मध्यप्रदेश राज्य में निवास की अवधि–
   (1) पति–
   (2) पत्नी –
11. आवेदन–पत्र के साथ संलग्नकों का विवरण–
   (1) निःशक्तता का प्रमाण–पत्र
   (2) आयु का प्रमाण–पत्र ।
   (3) निवास प्रमाण–पत्र
   (4) आय प्रमाण–पत्र।
   (5) विवाह प्रमाण–पत्र।

हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि उपरोक्त तथ्य हमारी जानकारी अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं तथा हमने निःशक्त व्यक्ति से विवाह करने पर शासन द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि के निर्देशों को भली–भांति समझ/पढ़ लिया है तथा हम उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे।

स्थानः
दिनांकः

पति के हस्ताक्षर   पत्नी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–दो

करार विलेख (रूपये पचास के जुड़िशियल स्टाम्प पेपर पर होगा)

हम (पति)...पुत्र श्री ....

निवासी ....(2) पत्नी..

....

हम एतद्द्वारा पति–पत्नी के रूप में रहने का सत्यनिष्ठा से वचन देते हैं तथा संबंध–विच्छेद की स्थिति में प्रोत्साहन राशि की समस्त राशि भू–राजस्व की बकाया की भाँति मध्यप्रदेश शासन को वापिस करने के लिए हम संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

पति के हस्ताक्षर पत्नी के हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर नाम तथा पता–

1.

2.

79-A

मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 3–36/2010/26–2 भोपाल दिनांक 21–9 2010

प्रति,

1 कलेक्टर्स,
समस्त जिला
मध्यप्रदेश।

2 संयुक्त संचालक/उप संचालक,
सामाजिक न्याय,
समस्त ज़िला, मध्यप्रदेश।

विषय— निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 2008 में संशोधन के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–42/2008/26–2, दिनांक 12.08.2008 द्वारा "निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना" प्रारंभ की गई है।

2/ उक्त योजना की कण्डिका 4 (3) के बाद नई कण्डिका 4 (4) निम्नानुसार स्थापित की जाती है:—

दम्पति में दोनों के निःशक्त होने पर रूपये 50,000/— (रूपये पचास हजार मात्र) प्रोत्साहन राशि तथा प्रशंसा पत्र। दम्पति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

उपरोक्तानुसार संशोधन आदेश दिनांक 1.11.2010 मध्यप्रदेश स्थापना दिवस से लागू होगा। समसंख्यक आदेश दिनांक 12.08.2008 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/9/10
(व्ही.के. बाथम)
सचिव,
म.प्र.शासन,सामाजिक न्याय विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3–36/2010/26–2 भोपाल, दिनांक 21–9–2010

प्रतिलिपि:—

1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

2 प्रमुख सचि, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग की ओर सूचनार्थ.